

कार्यालय नोडल अधिकारी, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर।

संख्या : /सविदा विधि0/विज्ञप्ति-3/2020-21,

दिनांक : 06 मार्च 2021

- विज्ञप्ति -

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के निम्न रिक्त पदों पर सविदा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07 मार्च से 21 मार्च 2021 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झोंसी में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम	विशिष्टता का नाम	आचार्य/पदनामित आचार्य	सह आचार्य/पदनामित के रूप में सह आचार्य	सहायक आचार्य
1	ऑपरथेल्मोलॉजी			1 SC
2	ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनीकोलॉजी	1 SC	1 UR	1 OBC
3	इमरजेन्सी मेडिसिन		1 OBC	1 UR
4	एनाटॉमी			1 SC
5	एनेस्थीसियोलॉजी		1 SC 1 UR	1 OBC 1 UR
6	कम्युनिटी मेडिसिन			1 EWS
7	जनरल मेडिसिन	1 OBC	1 OBC 1 UR	1 SC 1 UR
8	जनरल सर्जरी	1 UR	1 EWS	1 SC
9	टी0बी0 एण्ड चैस्ट		1 SC	
10	डर्मेटोलॉजी		1 UR	
11	पीडियाट्रिक्स		1 OBC	
12	पैथोलॉजी		1 UR	
13	फार्माकोलॉजी		1 SC	
14	फिजियोलॉजी	1 SC		1 EWS 1 OBC
15	फोरेन्सिक मेडिसिन			1 SC
16	बायोकेमिस्ट्री		1 OBC	1 OBC
17	माइक्रोबायोलॉजी		1 UR	1 UR
18	रेडियोलॉजिस्ट्री		1 OBC	1 SC
19	साइकियाट्री		1 EWS	
	योग	04	16	16

नियम एवं शर्तें :

- साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक 23, मार्च 2021 को एवं इसके पश्चात प्रत्येक मंगलवार को समय 11:00 से से 02:00 बजे के मध्य प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झोंसी में की जायेगी। यदि स्थान परिवर्तन होता है तो उसकी सशोधित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- सविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की सविदा अवधि 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। नियत वेतन के अतिरिक्त सविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21-11-2019 के अनुसार सविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियत वेतन देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
- आवेदक को National Medical Commission के मानकों के अनुसार सभी अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करना अनिवार्य है।
- सविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।
- आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से हाई स्कूल अंक तालिका, एम0बी0डी0एस0 अंक तालिकायें, एडीशनल क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, पी0जी0 के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन, एवं अन्य तत्सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रपत्र अवश्य सलगन करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- आरक्षण सम्बन्धी 100 विन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटेगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद को उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा।
- आयु के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10-06-2020 में प्रदत्त निर्देश मान्य होंगे।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
मेडिकल कालेज झोंसी।

संख्या 1967/सविदा विधि0/विज्ञप्ति-3/2020-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महाविदेशिक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठवीं तल, उ0प0 लखनऊ।
- प्रभारी अधिकारी-वेब साइट, मेडिकल कालेज, झोंसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झोंसी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को इस आशय से कि नोटिस बोर्ड पर चरपा करने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
मेडिकल कालेज झोंसी।